	देवी सिंह बनाम भंवरीदेवी	
4-9-23	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट उपस्थित। प्रस्तुत अपील में अपीलांट् के अधिवक्ता द्वारा पूर्व पेशी दिनांक 12–07–2023 को नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किये जाने पर अपीलांट् को न्यायालय स्तर से नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये गये थे। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट् द्वारा चूंकि अपीलाधीन भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट को किया जा चुका है ऐसी स्थिति में आराजी जैर पर अपीलांट् के हित समाप्त हो चुके है। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में चूंकि न्यायालय के समक्ष यह तथ्य जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पर उपस्थित आ चुके है कि अपीलांट् द्वारा आराजी जैर का बेचान रेस्पोडेन्ट को किया जा चुका है। लिहाजा अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट् के विधिक हित समाप्त हो चुके है। अतः प्रस्तुत अपील को जैरकार रखे जाने का कोई औचित्य नहीं रहने से अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो। (वीरेन्द्र सिंह चौधरी) राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर	